एफ.सं. 31-2/2017-अनुदान

भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय अभिलेखागार,

जनपथ, नई दिल्ली- 110001

ई-मेल : archives@nic.in

दिनांक : 15 जून, 2017

ज्ञापन

पूर्व ज्ञापन सं.31-2/2015-अनुदान दिनांक 20 अप्रैल, 2015 का अधिक्रमण करते हुए राज्य/संघ शासित, क्षेत्र अभिलेखीय भंडारणों, सरकारी पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों के लिए वित्तीय सहायता योजना हेतु अनुदान समिति का एतदद्वारा दो वित्तीय वर्षों अर्थात् 2017-2018 और 2018-2019 के लिए पुनर्गठन किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

1.	अभिलेख महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार, जनपथ, नई दिल्ली-110001	:	अध्यक्ष
2.	निदेशक, ए. एंड ए., संस्कृति मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	:	सदस्य
3.	श्री प्रतापनंद झा, निदेशक सांस्कृतिक सांयन्त्रिक संचार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, 11 मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110001	:	सदस्य
4.	डा. शमा मित्रा चिनॉय, एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, शिवाजी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, राजा गार्डन, नई दिल्ली-110027	:	सदस्य
5.	श्री प्रेम कुमार नागटा, निदेशक (कलेक्शन्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन), राष्ट्रीय संग्रहालय, जनपथ, नई दिल्ली-110001	:	सदस्य

6.	डा. आनन्द बर्धन, असिस्टेंट प्रोफेसर, दिल्ली इंस्टिट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट, 18-ए सतसंग विहार मार्ग, कुतब इंस्टिट्यूशन एरिया, नई दिल्ली-110067	:	सदस्य
7.	डा. जयोत्सना अरोड़ा, उप-निदेशक (पुस्तकालय) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110001	:	सदस्य
8.	डा. अरूण कुमार श्रीवास्तव, सहायक अभिलेख निदेशक (सेवानिवृत्त), बी-8 पोकेट-6, केंद्रीय विहार, सैक्टर 82, नोएडा-201304, उत्तर प्रदेश	:	सदस्य
9.	निदेशक, केरल राज्य अभिलेखागार, केरल सरकार, नालंदा, तिरूवन्नतपुरम-695003 केरल	:	सदस्य
10.	निदेशक, डिपार्टमेंट ऑफ आर्काईव्ज, महाराष्ट्र सरकार, एलफिन्सटन कालेज बिल्डिंग, एम जी रोड, कालाघोड़ा फोर्ट, मुंबई-400032, महाराष्ट्र	:	सदस्य
11.	निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग, राज्य अभिलेखागार, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171009, हिमाचल प्रदेश	:	सदस्य
12.	निदेशक, कला एवं संस्कृति, नागालैंड राज्य अभिलेखागार, नागालैंड सरकार, बयावो हिल, कोहिमा-797001, नागालैंड	:	सदस्य

13. निदेशक, : सदस्य
पश्चिम बंगाल राज्य अभिलेखागार,
(पश्चिम बंगाल सरकार),
6, भवानी दत्ता लेन,
(शेक्सपियर सरनी), कोलकाता-700003
पश्चिम बंगाल

14. अभिलेख उपनिदेशक, : सदस्य-सचिव
राष्ट्रीय अभिलेखागार,
जनपथ, नई दिल्ली-110001

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष, अनुदान समिति किसी विशेषज्ञ/विषय के जानकार को अनुदान समिति की बैठक में भाग लेने और/या अनुदान समिति को सलाह देने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं।

अपरिहार्य/अनपेक्षित परिस्थितियों में कोई भी सदस्य अनुदान समिति के सदस्य सचिव को पूर्व सूचना देकर अपने प्रतिनिधि को अनुदान समिति की बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है।

2. कार्यकाल : अनुदान समिति का पुनर्गठन दो वित्तीय वर्षों के लिए अर्थात् 2017-2018 और 2018-2019 के लिए किया जाता है। अनुदान समिति की अवधि 31 मार्च, 2019 को समाप्त हो जाएगी। सदस्य पुन: नियुक्त किए जाने के भी पात्र होंगे।

3. सचिवालय : समिति का सचिवालय राष्ट्रीय अभिलेखागार, जनपथ, नई दिल्ली-110001 में होगा।

4. बैठकें : अनुदान की उपलब्धता तथा प्राप्त आवेदनों को ध्यान में रखते हुए एक वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की साधारणतया कम से कम एक बैठक होगी।

5. विचारार्थ विषय : समिति की गतिविधियों का कार्यक्षेत्र इस प्रकार होगा।

विभिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अभिलेखीय भंडारणों, पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों द्वारा योजना के अंतर्गत भेजे गए प्रार्थना पत्रों/प्रस्तावों को जो राज्य स्तरीय संवीक्षा समिति (एस एल सी एस) द्वारा सिफारिश/अनुमोदित किए गए हों और अध्यक्ष, अनुदान समिति, राष्ट्रीय अभिलेखागार, जनपथ, नई दिल्ली-110001 को प्राप्त हुए हों, की छानबीन के लिए समिति फोरम की तरह कार्य करेगी। जहां संवीक्षा समिति नहीं है, उस मामले में आवेदक पत्र संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र के नियंत्रक/प्रशासनिक विभाग के सचिव द्वारा सिफारिश/अनुमोदित किया गया हो। समिति प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए जारी किए जाने वाले अनुदान की निश्चित राशि की सिफारिश करेगी।

6. **भत्ते :** समिति के सदस्यों को नियमानुसार समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए दैनिक भत्ता तथा यात्रा भत्ता दिया जाएगा। सभी विशेष आमंत्रित, अनुदान समिति के सदस्यों के समान ही टीए/डीए आदि के हकदार होंगे।

(डा. एम. ए. हक)
अभिलेख उप-निदेशक
सदस्य-सचिव (अनुदान)
भारत सरकार

सेवा,

अनुदान समिति के सभी सदस्यों को योजना की एक प्रति सहित प्रेषित।